POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 01.04.2026

1. **थाना सेक्टर-**58 **पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नेचिंग करने वाले** 02 **अभियुक्त गिरफ्तार**, **कब्जे से स्नेचिंग के** 12 **मोबाइल फोन**, **घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।**

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.04.2026** को **थाना सेक्टर-58 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन स्नेचिंग करने वाले **02** अभियुक्त **1.** विनेश उर्फ राहुल पुत्र रमेश **2.** सलमान पुत्र अरबी हसन को सेक्टर-**60** नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नेचिंग के **12** मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0- **UP16FF7731** व अभियुक्त सलमान के कब्जे से **01** अवैध चाकू बरामद किया गया है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभियुक्तगण द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल से राह चलते व्यक्तियों के मोबाइल फोन स्नेच करने की घटनाएं कारित की जाती हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि बरामद मोटरसाइकिल रजि0नं0- **UP16FF7731** को दोनों ने मिलकर सेक्टर-**03** क्षेत्र से चोरी किया था, जिसके संबंध में थाना फेस-**1** पर मु0अ0सं0-**30/2026** धारा **303(2)** बीएनएस पंजीकृत है।अभियुक्तगण द्वारा बरामद **12** मोबाइल फोन नोएडा, दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों से स्नेचिंग कर एकत्रित करना बताया गया है। अभियुक्तगण द्वारा किए गए अन्य अपराधों एवं आपराधिक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. विनेश उर्फ राहुल पुत्र रमेश निवासी ग्राम लक्षमपुर, थाना अनूपशहर, बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम मोरना, सेक्टर-**35**, थाना सेक्टर-**24**, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग **26** वर्ष।
2. सलमान पुत्र अरबी हसन निवासी ग्राम तकिया, थाना बेहटा गोकुल, हरदोई वर्तमान पता ग्राम मोरना, सेक्टर-**35**, थाना सेक्टर-**24**, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग **20** वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0-**094/2026** धारा **317(2)**, **317(5)** बीएनएस व **4/25** आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-**58**, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- मोटरसाइकिल रजि0नं0- **UP16FF7731** संबंधित मु0अ0सं0-**30/2026**, थाना फेस-**1**, गौतमबुद्धनगर।
2- स्नेचिंग के **12** मोबाइल फोन।
3- **01** अवैध चाकू

2. थाना जारचा पुलिस द्वारा प्रतिबंधित कछुओं के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 16 प्रतिबंधित कछुए व 01 विक्की (मोपेड) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.04.2026** को **थाना जारचा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कछुओं के साथ 01 अभियुक्त गगन पुत्र सेठपाल को समाना नहर से बुलंदशहर की ओर जाने वाली सड़क से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **16 प्रतिबंधित कछुए, परिवहन में प्रयुक्त 01 विक्की (मोपेड) रजि0नं0- HR06AM9486 व कछुए पकड़ने का 01 जाल बरामद किया गया हैं**। बरामद कछुओं को वन-विभाग की टीम बुलाकर सुपुर्द किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- गगन पुत्र सेठपाल निवासी गली नं0-1, राजनगर, पानीपत (हरियाणा), उम्र लगभग 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 60/2026 धारा 9/39/49/49(a)/49(b)/50/51/52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 16 प्रतिबंधित कछुए
2- विक्की (मोपेड) रजि0नं0- HR06AM9486
3- कछुआ पकड़ने का जाल